<u>फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय 42-अन्य व्यय	1500.00	71.07	71.07	71.07	1428.93
योग-	**1500.00**	**71.07**	**71.07**	**71.07**	**1428.93**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय					
01-वेतन	0.00	48.47	48.47	48.47	48.47
03-मंहगाई भत्ता	0.00	14.87	14.87	14.87	14.87
04-यात्रा व्यय	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06-अन्य व्यय	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14
49-चिकित्सा व्यय	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

55-मकान किराया भत्ता	0.00	3.36	3.36	3.36	3.36
57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	0.00	2.23	2.23	2.23	2.23
योग -	**0.00**	**71.07**	**71.07**	**71.07**	**71.07**

(1) बचत का कारण निम्नानुसार है :-

सड़क सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर एक-एक विशेष कार्याधिकारी सड़क सुरक्षा सेल में तैनात किये गये हैं, जिनके वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के दृष्टिगत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष -3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय मद मद संख्या-42-अन्य व्यय में रू0 71.07 लाख की बचत संभावित होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 05-11-2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय की मानक मदों-01, 03, 04, 06, 49, 55, 57 में प्राविधान स्वीकृत कराये जाने विषयक प्रस्ताव प्रेषित किया गया। कतिपय कारणों वश बजट प्राविधान स्वीकृत न हो पाने के कारण।

नोट: शासनादेश संख्या-02/2020-वे0आ0-1-314/दस-2020-8(एम)/2016 दिनांक 24-04-2020 द्वारा कार्मिकों के देय मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त दरों (01-01-2020, 01-07-2020 तथा 01-01-2021) को स्थगित करते हुए न संचयी दरों को दिनांक 01-07-2021 से देय मंहगाई भत्ते की दर में शामिल किये जाने के कारण मंहगाई भत्ते की दर को 30 प्रतिशत (बजट 2021-22 के अनुरूप) मानते हुए गणना की गयी है। चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात विशेष कार्याधिकारी को मंहगाई भत्ता (वेतन एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ता) पर देय है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-004 /ई-9-यू0ओ0-ई-9-1663340/दस-2021, दिनॉक 08 जून, 2021

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह०/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

ह०/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-56/2021/1190/तीस-3-21-06बी/2014टीसी, दिनॉक 15 जून, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।